न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारीः श्री वीरेन्द्र सिंह यादव, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 02/2025 (अपील)
जी.सी.एम.एस नं.– 2025/03

उनवान

प्रेमचन्द पुत्र मदनमोहन जाति मीणा निवासी निमोदा तहसील पीपल्दा,जिला कोटा राज0

(अपीलाण्ट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा

(रेस्पोडेण्ट)

उपस्थित :– 1. श्री नरेन्द्र कुमार नन्दवाना (अभिभाषक अपीलाण्ट)
2. राजकीय पेरोकार (राजकीय पेरोकार रेस्पो0 की ओर से)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
बनाराजगी आदेश दिनांक 3.01.2025 मि0नं0 268/2024
न्यायालय तहसीलदार, पीपल्दा जिला कोटा

निर्णय दिनांक : 19/3/26

1. अपीलाण्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र के साथ संक्षेप में इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा के द्वारा ग्राम निमोदा पटवार हल्का लक्ष्मीपुरा की आराजी. खसरा नम्बर 559,568 की रकबा 2.30 है0 भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुए अपीलान्ट को 3 माह का सिविल कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किया गया है। इस कारण अपील प्रस्तुत की जा रही है।
2. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र हल्का पटवारी की झूठी रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट को सजा से दण्डित किये जाने में कानूनी त्रुटि की है क्योकी अपीलान्ट को न तो जवाब एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर दिया गया एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरीत जाकर निर्णय पारित किया गया है तथा अपीलान्ट के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की गई है जो कि त्रुटिपूर्ण है।
3. उक्त आराजी में आंवटी मूल खातेदार मोहनलाल पुत्र प्रहलाद के खातेदारी में दर्ज रेकार्ड थी लेकिन राज्य सरकार द्वारा सिलिंग एक्ट के तहत उक्त भूमि दिनांक 5.5.1972 को अधिग्रहित करं ली गई। इसके पश्चात दिनांक 22.01.1991 न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी कोटा के निर्णय अनुसार उक्त आराजी को पुनः मूल खातेदार को संभलाये जाने का आदेश प्रदान किया गया जिसकी पालना में नामान्तकरण संख्या 76 दिनांक 4.07.1991 के अनुसार उक्त भूमि पुनः दर्ज की गई लेकिन अधीनस्थ न्यायालय की लापरवाही के कारण उक्त भूमि जमाबंदी में अमल दरामद नही हो सकी। उसके पश्चात पुनः मूल खातेदार मदन मोहन के खिलाफ धारा 91 एल आर एक्ट के तहत कार्यवाही की गई जिसका निर्णय न्यायालय राजस्व

अति॰ जिला कलक्टर
कोटा

अपील प्राधिकारी कोटा के यहा से दिनांक 20.03.1999 के आधार पर उक्त भूमि को पुनः इन्तकाल संख्या 76 के अनुसार दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये गये लेकिन उसके पश्चात भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूल खातेदार के विरूद्व 91 एल आर एक्ट की कार्यवाही निरन्तर रखी। उसके पश्चात सम्वंत 2080 में अपीलान्ट के विरूद्व हलका पटवारी ने पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए धारा 91 एल आर एक्ट की कार्यवाही की गई जो विधि विरूद्व होने के कारण निरस्त योग्य जाने योग्य है।

4. अपीलान्ट को उक्त निर्णय की जानकारी पूर्व में नही थी दिनांक 16.01.2025 को पुलिस जब वारंट लेकर आई तक जानकारी हुई उसके पश्चात अपीलान्ट द्वारा नकल प्राप्त कर उक्त अपील अविलम्ब प्रस्तुत की है। अतः अपील में डिले हुए समय को कन्डोन किया जाकर उक्त अपील को अवधि मध्य माना जावे।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 11.11.2024 को निरस्त फरमाया जावे एवं अपीलान्ट कह सजा पर रोक लगाई जावे एवं अन्य न्यायोचित सहायता प्रदान कि जावे।

5. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट की तलबी की गई। रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुऐ।

अपीलाण्ट की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गई । वकील अपीलांट द्वारा अपील मेमो में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम निमोदा पटवार हल्का लक्ष्मीपुरा की आराजी. खसरा नम्बर 559,568 की रकबा 2.30 है0 भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुए अपीलान्ट को 3 माह का सिविल कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किया गया है। उक्त आराजी में अपीलान्ट मूल खातेदार मोहनलाल पुत्र प्रहलाद के खातेदारी में दर्ज रेकार्ड थी लेकिन राज्य सरकार द्वारा सिलिंग एक्ट के तहत उक्त भूमि दिनांक 5.5.1972 को अधिग्रहित कर ली गई। इसके पश्चात दिनांक 22.01.1991 न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी कोटा के निर्णय अनुसार उक्त आराजी को पुनः मूल खातेदार को संभलाये जाने का आदेश प्रदान किया गया जिसकी पालना में नामान्तकरण संख्या 76 दिनांक 4.07.1991 के अनुसार उक्त भूमि पुनः दर्ज की गई लेकिन अधीनस्थ न्यायालय की लापरवाही के कारण उक्त भूमि जमाबंदी में अमल दरामद नही हो सकी। उसके पश्चात पुनः मूल खातेदार मदन मोहन के खिलाफ़ धारा 91 एल आर एक्ट के तहत कार्यवाही की गई जिसका निर्णय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के यहा से दिनांक 20.03.1999 के आधार पर उक्त भूमि को पुनः इन्तकाल संख्या 76 के अनुसार दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये गये लेकिन उसके पश्चात भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूल खातेदार के विरूद्व 91 एल आर एक्ट की कार्यवाही निरन्तर रखी। उसके पश्चात सम्वंत 2080 में अपीलान्ट के विरूद्व हलका पटवारी ने पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए धारा 91 एल आर एक्ट की कार्यवाही की गई जो विधि विरूद्व होने के कारण निरस्त योग्य जाने योग्य है।

6. रेस्पोडेण्ट की ओर से उपस्थित विद्वान राजकीय अभिभाषक का बहस में कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय के रेकार्ड के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि अपीलाण्ट द्वारा **सिवायचक** भूमि पर अपीलांट का विधि विरूद्व कब्जा किया हुआ है। तथा अपीलांट को पूर्व उक्त आराजी पर बेदखल किया गया था। अतः अपीलांट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित होता है। अतिक्रमण करने पर उसे पूर्व में बेदखल किया गया है। उसके बावजूद अप्रार्थी अपीलाण्ट द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है। जिसके सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उचित निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाई जावे।

7. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। पस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा विवादग्रस्त आराजी पर सिलिंग कार्यवाही होना व न्यायालय के आदेश से पुनः सिलिंग कार्यवाही समाप्त की जाकर विवादग्रस्त आराजी पुनः खाते दर्ज होना अपनी बहस व अपील मेमो मे जाहिर किया है। वकील अपीलांट द्वारा यह

अति॰ जिला कलक्टर
कोटा

भी जाहिर किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सिलिंग कार्यवाहीयो के दौरान न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में अधीनस्थ न्यायालय ज़माबंदी मे अमल दरामद नही कर अपीलान्ट के विरूद्व उक्त आराजी पर अतिकमी मानते हुए एल.आर.एक्ट की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलांट को 50 गुना शास्ति व 3 माह के सिविल कारावास से दण्डित किया गया है।

उक्त विवेचन के आधारा न्यायालय का यह मत है कि अधीनस्थ न्यायालय को अपीलान्ट को समुचित सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिया जाकर विवादित आराजीयात् के संबध में विभिन्न न्यायालयो द्वारा पारित आदेशो पर गौर करते हुए निर्णय अपरान्त अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया जाना चाहिए था ।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आशिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार पीपल्दा के निर्णय दिनांक 3.01.2025 को अपास्त कर इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि विवादग्रस्त आराजी के संबध में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत रेकार्ड व दस्तावेज की जॉच एवं सुनवाई का अवसर देते पुनः गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करे।

8. निर्णय आज दिनांक 19/2/26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(वीरेन्द्र सिह यादव)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा

अति॰ जिला कलक्टर
कोटा